:: कार्यालय, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान–बीकानेर ::

क्रमांकः शिविरा/माध्य/संस्था/ए–2, 7/विदेशयात्रा/2017 दिनांक

जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक–द्वितीय
अजमेर

विषय विदेश यात्रा की अनुमति के कम में
प्रसंग जिशिअ/मा–द्वि/अज/सामा–1/फा–72/2017–18/24 दिनांक 12.04.17

उपरोक्त विषयान्तगर्त प्रासागिक पत्र के क्रम में लेख है कि सुश्री कालिन्द नन्दिनी शर्मा प्रधानाचार्या राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बडल्या (श्रीनगर) अजमेर के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र दिनांक 22.02.17 व जिशिअ (मा) द्वितीय अजमेर द्वारा की गई अभिशंषानुसार सुश्री कालिन्द नन्दिनी शर्मा को निम्न शर्तों के साथ ग्रीष्मकालीन अवकाश में दिनांक 17.05.2017 से 30.05.17 (13 दिवस) अपने व्यक्तिगत खर्चे पर यूरोप (विदेश) जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती हैं।

नियन्त्रण अधिकारी सुश्री कालिन्द नन्दिनी शर्मा प्रधानाचार्या राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बडल्या (श्रीनगर) अजमेर से निम्न शर्तों का नॉन–ज्युडिशियल स्टॉम्प पर शपथ–पत्र प्राप्त कर नियमानुसार अवकाश स्वीकृत करें।

1. उक्त लोकसेवक विदेश में 6 माह की अवधि से अधिक नहीं ठहरेगें। यदि कोई लोकसेवक 6 माह से अधिक अवधि तक विदेश में ठहरेगा तो उसके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
2. उक्त लोकसेवक सक्षम अधिकारी से अपना अवकाश स्वीकृत करवाने के पश्चात् ही विदेश यात्रा को प्रस्थान करेगा। अवकाश समाप्ति के तत्काल पश्चात् कार्यालय/संस्था में अपनी उपस्थिति अनिवार्य रूप से देनी होगी। एक बार में स्वीकृत अवकाश को आगे किसी भी परिस्थिति में बढ़ाया नहीं जायेगा।
3. विदेश यात्रा प्रवास के दौरान कोई व्यवसाय/नोकरी/अध्ययन नही करेगें।
4. उक्त लोकसेवक के विरूद्व कोई न्यायालय/अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नही है।
5. विदेश से भिजवाये गये त्याग–पत्र को स्वीकार नहीं किया जायेगा।

नियन्त्रण अधिकारी अवकाश स्वीकृत करने पूर्व सुनिश्चित करले किः–

अ विदेश जाने हेतु जब भी अवकाश स्वीकृत किया जाये उससे पूर्व यह पुष्टि आवश्यक रूप से करले कि उक्त लोकसेवक के विरूद्ध ततसमय कोई विभागीय जाँच/कार्यवाही, प्रस्तावित/विचाराधीन नहीं हैं।

ब लोकसेवक के अवकाश पर जाने से कार्यालय/संस्था का कार्य प्रभावित नहीं हो।

स लोकसेवक के द्वारा अपना कार्यभार एवं महत्त्वपूर्ण दस्तावेजों का हस्तानान्तरण पूर्णरूप से कर दिया गया हैं।

एक बार अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी किये की तिथि की अवधि की सीमा अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात् दोबारा अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी नहीं किया जायेगा।

निदेशक
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/माध्य/संस्था/ए–2, 7/विदेशयात्रा/2017 दिनांक 22-5-17

प्रतिलिपिः–निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा, अजमेर
2. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक–द्वितीय) अजमेर
3. सुश्री कालिन्द नन्दिनी शर्मा प्रधानाचार्या राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बडल्या (श्रीनगर) अजमेर
4. प्रधानाचार्या राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बडल्या (श्रीनगर) अजमेर
5. सिस्टम एनालिस्ट (कम्प्यूटर अनुभाग) कार्यालय हाजा को आदेश अपलोड करने हेतु
6. निजी/रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर